

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य मिशन निदेशक(अमृत),
राज्य मिशन निदेशालय,
उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 31 जनवरी, 2023

विषय: अमृत योजना के (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) सैप वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत गोरखपुर सीवरेज योजना जोन-सी-2 पार्ट-1 से संबंधित प्रायोजना के सापेक्ष तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य मिशन निदेशक(अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय के पत्र संख्या-एसएमएमयू/8297/539/2023, दिनांक 24.01.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमृत योजना के सैप वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत गोरखपुर सीवरेज योजना जोन-सी-2 पार्ट-1 से संबंधित प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-212/2021/12235/नौ-5-2021-79बजट/2021, दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्धारित लागत रूपये 22385.75 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 3665.6152 लाख एवं शासनादेश संख्या-73/2022/3528/नौ-5-2022-79बजट/2021, दिनांक 23.08.2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में ₹0 2334.6044 का उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत तृतीय किश्त के रूप में केद्रांश रूपये 4057.674 लाख, राज्यांश रूपये 2334.6044 लाख तथा सेन्टेज रूपये 838.925 लाख कुल रूपये 7231.203 लाख (₹0 बहत्तर करोड़ इक्तीस लाख बीस हजार तीन सौ मात्र) का व्यय किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (1) उक्त धनराशि का व्यय मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय के नोडल खाते में अमृत योजना के अन्तर्गत उपलब्ध/जमा धनराशि के सापेक्ष किया जायेगा।
- (2) अमृत योजना के अन्तर्गत सैप-1, सैप-2, सैप-3 के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त हुई है, जो Fungible है तथा उक्त धनराशि को स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष योजनान्तर्गत कार्यों को पूर्ण करने के लिए उपभोग किया जा सकता है।
- (3) अमृत योजना के तहत राज्य सरकार तथा भारत सरकार के अंश के साथ-साथ निकाय अंश की धनराशि की आवश्यकता भी होती है, जिसे प्रत्येक किश्त के साथ अवमुक्त करने में निकायों के स्तर से कठिनाई आ रही है। उक्त के दृष्टिगत निकाय अंश को परियोजना के पूर्ण होने के पूर्व निकाय द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त/उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (4) अवमुक्त सेन्टेज की धनराशि कार्यदायी संस्था को नियमानुसार इस प्रकार उपलब्ध करायी जाय कि इसका संबंध व्यय से हो जाय। इस हेतु पहली यू.सी. जमा होने पर प्रथम किश्त का सेन्टेज, दूसरी यू.सी. जमा होने पर द्वितीय किश्त का सेन्टेज एवं प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट जमा होने पर अन्तिम किश्त का सेन्टेज देय होगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय अमृत योजना की गाइड लाइन्स एवं वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जाय।
- (6) उक्त परियोजना लागत में सम्मिलित निकाय अंश की धनराशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जायेगी।
- (7) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयबद्ध रूप से भारत सरकार, राज्य सरकार एवं महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (8) परियोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के सम्परीक्षित लेखे का विवरण मिशन निदेशक(अमृत), नगर निकाय, उ०प्र० द्वारा रखा जायेगा।
- (9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

- (10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (11) पीएफएडी/व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (12) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 द्वारा विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
31.01.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव

संख्या-241/2022/ (1)/नौ-5-2022-79बजट/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 4- निदेशक (अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर।
- 8- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, कानपुर।
- 9- नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
- 10- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 11- मुख्य अभियन्ता (नागर)/पीडीएमसी, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 12- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 14- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु

आज्ञा से,
31.01.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।